अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2003

का.आ. 684(अ).—**जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 फरवरी,1995 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 116 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री कल्याण आरोग्य सदन (टी0बी0 अस्पताल और मेडीकल रिसर्च सेन्टर) , डाक खाना बजाजग्राम,जिला सीकर,राजस्थान द्वारा बजाजग्राम,सीकर,राजस्थान में चलते-फिरते टी0बी0 और चेस्ट क्लीनिक द्वारा टी0बी0 अस्पताल और जन स्वास्थ्य कार्यक्रम को चलाने और इसके विस्तार की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1995-1996 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 10 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 740 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था तथा जिसे बाद में दिनांक 17 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1028 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनः आगे बढ़ाया गया था ;**

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कल्याण आरोग्य सदन (टी0बी0 अस्पताल और मेडीकल रिसर्च सेन्टर), डाक खाना बजाजग्राम,जिला सीकर,राजस्थान द्वारा बजाजग्राम,सीकर,राजस्थान में चलाई जा रही चलते-फिरते टी0बी0 और चेस्ट क्लीनिक द्वारा टी0बी0 अस्पताल और जन स्वास्थ्य कार्यक्रम को चलाने और इसके विस्तार की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए केवल दो करोड, बयासी लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 147/2003/फा. सं. एन.सी.-81/2003]

जी.सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)